

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खंड-II में प्रकाशनार्थ)

संख्या 13017/52/2008-अ.भा.से.(I)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 01 जून, 2011

अधिसूचना

केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार की सहमति से सुश्री कामिनी चौहान रतन, भा.प्र.से. (उ.प्र.97) जो वर्तमान में अन्तर-संवर्ग प्रतिनियुक्ति पर हैं, की मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश संवर्ग में समय पूर्व वापसी का अनुमोदन कर दिया है। अधिकारी को इस निदेश के साथ कार्यमुक्त कर दिया जाए कि वह अपने मूल संवर्ग अर्थात् उत्तर प्रदेश में तत्काल रिपोर्ट करें।



(नरेन्द्र गौतम)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23093063

सेवा में

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा).